



2026:AHC-LKO:12369-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1476 सन 2026

धरम प्रकाश

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग लखनऊ
एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	धनंजय त्रिवेदी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जितेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

- हमारे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
- याचिकाकर्ता का आरोप है कि नगर पंचायत - पाली, जिला - हरदोई ने याचिकाकर्ता की गाटा संख्या 236 वाली भूमि पर नाले और सड़क का निर्माण किया है।
- नगर पंचायत के अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता का दावा गलत है।
- यदि याचिकाकर्ता गाटा संख्या 236 के संबंध में 'भूमिधर' के रूप में दर्ज है, तो वह इसकी सीमाओं का सीमांकन करवा सकता है और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो निर्धारित कानूनी उपायों का लाभ उठा सकता है।
- तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 17, 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।